

जिला खनन कार्यालय, मुजफ्फरपुर

पत्रांक: 594 / एम0, दिनांक: 08/05/2024

सेवा में,

आलोक कुमार (Alok Kumar)

हस्ताक्षरकर्ता — आलोक कुमार

पता — ग्राम: रौतिनिया, पोस्ट: चमरुआ, थाना: करजा

मुजफ्फरपुर- 843113, बिहार

विषय:—खनन योजना (Mining Plan) अनुमोदन के संबंध में।

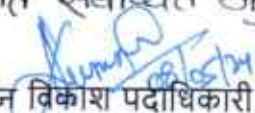
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत, काटी थानान्तर्गत मौजा/ग्राम— करजा डीह, थाना संख्या —150 खाता नं०— 301,301, 689 खेसरा नं०— 3110, 3114, 3120,3126, 3112,3114, 3120,3126, 3395,3399 रकबा 1.221 हेक्टेयर में लघु खनिज साधारण मिट्टी के खनन हेतु प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 4156/एम0 पटना दिनांक— 27.12.16 के आलोक में निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन किया जा रहा है।

1. खनन योजना का अनुमोदन 17,310 घन मीटर साधारण मिट्टी के उत्पादन हेतु अनुमान्य किया गया है।
2. साधारण मिट्टी खनन की गहराई सतह से 1.5 मी० से अधिक नहीं होगा।
3. खनन कार्य ग्राउन्ड वाटर लेबल से कम से कम 2.0 मी० उपर तक ही सीमित रखा जाएगा।
4. प्रस्तावित उत्खनन की गहराई के कम से कम आधे के बराबर चौड़ाई रखने वाले सटे मैदानों की सीमा से पटरी छोड़ दी जाएगी।
5. ईंट निर्माण, मिट्टी भराई, पथनिर्माण, तटबंध निर्माण आदि के प्रयोजनार्थ ईंट मिट्टी और साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन से संबंधित क्रिया कलाप में विस्फोटक का प्रयोग नहीं होगा।
6. खनन/उत्खनन संबंधी क्रिया-कलाप कार्य क्षेत्र के सामान्य जल निकासी के प्रतिरूप (पैटर्न) को परिवर्तित नहीं करेगा।
7. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा (पिट) को परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपयोगी प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए पुनः स्थापित किया जाएगा।
8. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा के चारों ओर समुचित घेराबंदी कर दी जाएगी, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके।
9. दुलाई के दौरान खोदी गई/उत्खनित मिट्टी के फैलने से धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे।
10. मिट्टी के खनन/उत्खनन के कारण सृजित जल निकायों में रोग वाहकों (वेक्टर) के प्रजनन के कारण स्वास्थ्य खतरों के विरुद्ध सुरक्षा मानक अपनाये जाएंगे।
11. कामगारों/मजदूरों को पेयजल और सफाई संबंधी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

12. किसी उत्खनन क्षेत्र की परिधि से किसी असैनिक संरचना की दूरी कम से कम 15 मीटर रखी जाएगी।
13. राष्ट्रीय पार्को और वन्य प्राणी अभ्यारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के अन्दर उत्खनन के क्षेत्र के मामले में "ईट मिटटी" अथवा साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. खनन योजना में खनन कार्य बेंच बना कर किया जाएगा जिसकी अधिकतम उँचाई 1.5 मी० एवं चौड़ाई कम से कम 3.0 मी० होनी चाहिए।
15. खनन कार्य के दौरान निकाले गये टॉप स्वायल को व्यस्थित रूप से एकत्रित कर रखा जाएगा, जिसे खनन कार्य समाप्त होने के उपरान्त उसी क्षेत्र में फैला दिया जाएगा।
16. खनन योजना में वर्णित भूमि के स्वामिस्व तथा भूस्वामियों की सहमती से संबंधित अभिलेखों की पुष्टि करा लिया जाना अपेक्षित होगा।
17. भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी गलती खनन योजना अथवा कार्य में पाई जाएगी तो खनन योजना स्वतः निरस्त माना जाएगा।
18. खनन कार्य से पूर्व सख्त प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वीकृति की प्राप्ति एवं संबंधित जिला खनन कार्यालय मुजफ्फरपुर में खनन रॉयल्टी, मास्किना शुल्क एवं अन्य देश राशि जमा कर खनन की अनुमति संबंधित अनुग पत्र लेना अनिवार्य होगा।




 खनन विकाश पदाधिकारी
 जिला खनन कार्यालय,
 मुजफ्फरपुर